न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 05/202

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री महेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, मैसर्स जगशीला एन्अरप्राइजेज, गली नम्बर 14, अशोक नगर, नारीशाला रोड, अजमेर जिला अजमेर (विक्रेता)
2. श्री भारत पी पारेख मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, सी/ओ जयपुर मिनरल्स एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज, ई – 105, रोड नम्बर 8, वी के आई एरिया, जयपुर, राजस्थान पिन 302013 (नॉमिनी)
3. वाडीलाल एन्अरप्राइजेज लिमिटेड, कोलानाडे बिल्डिंग, 10वीं फ्लोर, इस्कॉन मन्दिर के सामने, आवंली बोपल रोड, बोपल, अहमदाबाद पिन 3080015 (निर्माता फर्म)

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।)(V), धारा 51, धारा 52 के तहत

अप्रार्थी अभिभाषक श्री विनोद भारद्वाज

–: आदेश :–

दिनांक–20.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक(सब स्टेण्डर्ड) स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम (वाडीलाल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)(**V**)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायिक निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.05.2022 को दोपहर 3 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स जगशीला एन्टरप्राइजेज, गली नम्बर 14, अशोक नगर, नारीशाला रोड, अजमेर जिला अजमेर पर पहुँचे। श्री महेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा जाति ब्राह्मण मौके पर उपस्थित मिले खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान कोल्ड रूम में प्लास्टिक के कैरेट में 44 सिल्ड पैक प्रत्येज 750 मिली वजनी स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम (वाडीलाल ब्राण्ड) रखा हुआ था। उक्त स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम (वाडीलाल ब्राण्ड) की गुणवत्ता व लेबल में कमी होने का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 04 सिल्ड पैक प्रत्येक 750 मिली वजनीस्ट्राबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम (वाडीलाल ब्राण्ड) वास्ते नमूना जॉच हेतु 440/- रूपयें श्री महेश शर्मा को नगद देकर गवाह श्री प्रेमचन्द शर्मा के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री महेश शर्मा को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम (वाडीलाल ब्राण्ड) को विक्रेता के सामन साफ सूखी खाली प्लास्टिक जार में. डालकर प्रत्येक जार को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-3224 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/6240 दिनांक 17.06.2022 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/775/एक्ट/2022/650 दिंनांक 07.06.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम (वाडीलाल ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा मिस ब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 16.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री महेश शर्मा को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 29.03.2023 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 16.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से श्री विनोद भारद्वाज ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं दिनांक 17.10.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया।

नियत पेशी दिनांक 20.06.2025 को अप्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवार का परीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये स्ट्राबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम (वाडीलाल ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

मिस ब्राण्ड पाया गया है। वाडीलाल आइसक्रीम भारत का एक सुप्रसिद्ध लोकप्रिय तथा संभवतया सर्वाधिक विक्रय किया जाने वाला आइसक्रीम ब्राण्ड है तथा जनहित में न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि निर्माता कम्पनी द्वारा अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा मिस ब्राण्ड (मिथ्याछाप) आइसक्रीम का विक्रय किया जावे।
परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया वाडीलाल आईसक्रीम अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा मिस ब्राण्ड (मिथ्याछाप) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश तेजवानी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)(**V**) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड), मिस ब्राण्ड (मिथ्याछाप) बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 में अवमानकपदार्थ तथा मिस ब्राण्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)(**V**) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51, धारा52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित की जाती है –

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 51 के तहत **निर्माता कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 3)**वाडीलाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, अहमदाबाद पर रू. 5,00,000/– (अक्षर पाँच लाख रूपये मात्र)
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 52 के तहत **निर्माता कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 3)** वाडीलाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, अहमदाबाद पर रू. 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र)
3. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 51 व धारा 52 के तहत **अप्रार्थी संख्या 2** श्री भारत पी पारीख पर रू. 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र)
4. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 51 व धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 श्री महेश शर्मा, मैसर्स जगशीला एन्टप्राइजेज (विक्रेता) पर रू. 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र)

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई–ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 20.06.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय अलग से लिखाया जाकर आज दिनांक 20.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3– सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।

4— श्री महेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा,मैसर्स जगशीला एन्अरप्राइजेज, गली नम्बर 14, अशोक नगर, नारीशाला रोड, अजमेर जिला अजमेर (विक्रेता)

5— श्री भारत पी पारेख मैसर्स वाडीलाल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड सी/ओ जयपुर मिनरल्स एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज, ई – 105, रोड नम्बर 8, वी के आई एरिया, जयपुर, राजस्थान पिन 302013 (नॉमिनी)

6— वाडीलाल एन्अरप्राइजेज लिमिटेड, कोलानाडे बिल्डिंग, 10वीं फ्लोर, इस्कॉन मन्दिर के सामने, आवंली बोपल रोड, बोपल, अहमदाबाद पिन 3080015 (निर्माता फर्म)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर